लाड़ली लक्ष्मी योजना

प्रभाव आकलन

जिला सिवनी

सिवनी जिल के संक्षिप्त परिचय

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने आप में समेटे हुये सिवनी जिला वर्तमान स्वरूप में एक नवम्बर 1956 को गठित किया गया । इसके उत्तर में जबलपुर, दक्षिण दिशा में नागपुर तथा छिंदवाडा, पूर्वी दिशा में बालाघाट जिला तथा छत्तीसगढ प्रांत एवं पश्चिमी दिशा में नरसिंहपुर जिला तथबुदेलखण्ड क्षेत्र इसकी सीमा बनाते है ।

सिवनी जिला मध्यप्रदेश की दक्षिणी सीमा पर पूर्व की ओर 21.36 उत्तरी अंक्षाश और 79.19 से 80.17 डिग्री पूर्वी देशांतर रेख के बीच स्थित है । जिले का कुल क्षेत्रफल **8758** वर्ग किमी है । यहॉ की औसत वर्षा 1384 मिलीमीटर है ।

प्रशासनिक इकाईयॉ

प्रशासनिक दृष्टि से जिले में सिवनी,, बरघाट, कुरई, केवलारी, लखनादौन, घंसौर-6 तहसीलें और 8 जनपद पंचायतें है । जिले में 598 ग्राम पंचायतें, 38 वन ग्राम और 1585 कुल ग्राम है। सिवनी में नगरपालिका तथा लखनादौन, बरघाट, छपारा में नगर पंचायते है। जिले में 05 विधानसभा क्षेत्र सिवनी, केवलारी, लखनादौन, घंसौर, बरघाट है ।

जिले की प्रमुख नदियॉ, बैनगंगा, सागर, बावनथडी, थांवर, हिर्री, बिजना, ठेल, पेंच आदि है। जलवायु अनेक विभिन्नताओं से मिलती है । यहॉ समशीतोष्ण जलवायु है। जिला पिछडा व आदिवासी बाहुल्य होते हुये शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभांवित होकर कृषि और औद्योगित क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है।

जनसंख्या

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जिले की कुल आबादी 11,66608 है । जिले का साक्षरता प्रतिशत 65.88 जिसमें पुरूष साक्षरता 77.50 महिला साक्षरता 54.06, नगरीय साक्षरता 86.13 एवं ग्रामीण साक्षारता 63.41 प्रतिशत है । विघुतीकृत ग्रामों की संख्या 1547 है । जिले में विवाह की औसत उम्र 14.91 है 18 वर्ष से कम उम्र में 62.31 प्रतिशत लड़कियों के विवाह पाये गये है, तीन तथा अधिक बच्चे वाले 39.75 प्रतिशत है ।

जिले में 2177 प्राथमिक शालाऐं एवं 596 माध्यमिक शालाऐं है। 72 हाईस्कूल एवं 53 हायर सेकेण्डरी स्कूल है । प्राथमिक शालाओं में 191823 बच्चे माध्यमिक शालाओं में 66008 बच्चे हाईस्कूल में 24071 तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 9334 शिक्षार्थी है । जिले में कुल 08 महाविद्यालय शिक्षणरत है ।

भौगोलिक स्थिति

सिवनी जिला मध्यप्रदेश की दक्षिणी सीमा पर पूर्व की ओर 21.36 उत्तरी अंक्षाश और 79.19 से 80.17 डिग्री पूर्वी देशांतर रेख के बीच स्थित है । जिले का कुल क्षेत्रफल 8758 वर्ग किमी है। यहॉ की औसत वर्षा 1384 मिलीमीटर है

Sr. No.	Block Name	No. of Towns	No. of Panchayats	No. of Villages	No. of Villages having Trans. Facility	Size of Villages (Population-wise)		
						0-499	500-999	1000 +
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
01	SEONI	01	129	289	16	147	103	39
02	KURAI	00	62	183	0	114	54	15
03	BARGHAT	01	90	135	0	29	32	74
04	KEOLARI	00	78	182	15	87	65	30
05	CHHAPARA	00	54	157	0	92	56	9
06	LAKHNADON	01	108	288	0	200	75	13
07	GHANSORE	00	77	237	18	173	61	06
08	DHANORA	00	47	114	0	73	35	03
Total		02	645	1585	49	915	481	189

Population

Sr.no.	Block Name	Population		Families			
		Male	Female	Urban		Rural	
				BPL	APL	BPL	APL
	URBAN	62422	58205	1907	-	9562	30934
1	SEONI	105748	101288	-	-	5900	14276
2	KURAI	51374	51611	404	-	6065	43917
3	BARGHAT	78162	80678	-	-	5663	19952
4	KEOLARI	67636	67491	-	-	6360	11810
5	CHHAPARA	52264	50819	619	-	5937	21498
6	LAKHNADON	80726	78604	-	-	9206	14681
7	GHANSORE	55449	55008	-	-	4039	6550
8	DHANORA	34969	34154	1907	-	9562	30934
Total		**588750**	**577858**	**4837**	**-**	**62294**	**194552**

लालडी लक्ष्मी योजना एक नजर में

मध्यप्रदेश शासन के महिला और बाल विकास विभाग की महत्वकांक्षी योजना जिसे लाडली लक्ष्मी योजना नाम दिया गया है। मूलतः राज्य में बालिकाओं की संख्याओं में आ रही कमी को दूर करने और समाज में बालिकाओं के स्तर को बेहतर बनाने जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और बालक और बालिकाओं के बीच व्याप्त असमानता को दूर करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

अवधारणा

योजना का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 30 जुलाई 2006 से किया गया, योजना को लागू करने के पीछे मंशा है

- बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने
- बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने
- बालिका भ्रूण हत्या रोकने और
- बालिका जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच पैदा करना।

योजना को लागू करने के पीछे कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं जिन पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पडेगा जैसे

- बालिका भ्रूण हत्या पर रोक
- बाल विवाह में कमी और सही आयु पर विवाह को प्रोत्साहन
- समाज में बालिकाओं की चाहत को बढ़ावा

क्रियांन्वयन रणनीति

योजना के क्रियांवयन की मुख्य जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की है जिसे सभी जिलों में एक साथ योजना का क्रियांवयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्राथमिक रूप में यह योजना एक वर्ष की अवधि के लिए लागू की गयी है जिसके अंतर्गत मार्च 2008 पात्र हितग्राही इस योजना से जुड सकेंगे। इस प्रभाव आंकलन के लिए अप्रेल 2007 से दिसंबर 2007 तक के हितग्राहियों को ही आधार बनाया गया है। आंकलन से यह जानकारी भी प्राप्त हुई कि अप्रेल 2007 से दिसंबर 2007 तक 795 हितग्राही इस योजना से लाभांवित हो सके हैं जिसमें 391 हितग्राहियों को राशि (एन.एस.सी.) प्राप्त हो सकी है।

लाडली लक्ष्मी योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रशासन की ओर से निम्न गतिविधियॉं आयोजित की जा रही हैं।

- जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रत्येक माह विशेष समीक्षा एवं मार्गदर्शन दिया जाता है।
- महारानी लक्ष्मी बाई की जयंती पर सभी पंचायतों में लाडली लक्ष्मी योजना पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन ।
- सिवनी जिले में लोक कल्याण शिविरों के माध्यम से जागरूकता लाना एवं पात्र हितग्राहियों को एन.एस.सी. का वितरण
- सभी परियोजना स्तर पर पाम्प्लेट, पोस्टर छपवाकर वितरण करना ।
- प्रतिमाह प्रगति की समीक्षा के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यानाकर्षण करना।
- जनपद पंचायत सदस्यों की बैठक में योजना की जानकारी एवं पात्र हितग्राहियो ंको जोडने की अपील किया जाना ।

प्रभाव आंकलन का प्रयास

सिवनी जिले में प्रयास किया गया कि इस योजना के प्रभाव का आंकलन किया जावे जिससे यह ज्ञात हो सके कि योजना अपने वास्तविक मूल उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रही है अथवा नहीं और इस योजना के आने से समाज में किस तरह के परिवर्तन की झलक दिखायी दे रही है।

इस आंकलन को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए विभिन्न स्तरों पर काफी विचार विमर्श किये गये योजना के मूल स्वरूप को योजना के अवधारणा पत्र के माध्यम से समझा गया तत्पश्चात निष्कर्ष निकाला गया कि इसके प्रभाव को नापने के लिए मुख्यतः साक्षात्कार पद्धति अपनायी गयी। साक्षात्कार के लिए बहुत तकनीकि या वैज्ञानिक आधार नहीं तय किये गये, तय यह हुआ कि तीन स्तर पर साक्षात्कार किया जावेगा जिसमें :

- हितग्राही : जिन्होंने योजना का लाभ लिया है अर्थात योजना से जुड चुके हैं।
- पंचायत : पंचायतें इस योजना के बारे में क्या सोचती है।
- प्रशासनिक अमला : वे शासकीय अधिकारी जो किसी ना किसी रूप में इस योजना के क्रियांवयन में भूमिका निभाते है।

उत्तरदाताओं की संख्या का निर्धारण इस रूप में किया गया ।

हितग्राही : जिले से 65 हितग्राही साक्षात्कार हेतु चयनित किये गये और हितग्राही चयन का मापदंड निम्न रहा।

- परिवार जिन्होंने दो बालिकाओं के बाद स्थायी परिवार नियोजन अपनाया है
- परिवार जिसमें पुरूष ने स्थायी परिवार नियोजन को अपनाया।
- परिवार जिसमें एक बालक और एक बालिका हैं अर्थात सामान्य हितग्राही

साक्षात्कार हेतु एक प्रपत्र विकसित किया गया (देखें संलग्नक क्र 01) और साक्षात्कार की जिम्मेदारी महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षकों एवं कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर को दी गयी

पंचायत स्तर पर साक्षात्कार : इस भाग में भी जिले के 52 सरपंचों को साक्षात्कार हेतु तय किया और जहॉ सरपंच उपलब्ध नहीं हो सके तो पंचायत सचिव या पंचायत के सदस्यों का साक्षात्कार लिया जा सकता है । पंचायत प्रतिनिधियों से साक्षात्कार भी महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षकों एवं कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर द्वारा किया। साक्षात्कार प्रपत्र का नमूना (देखें संलग्नक क्र.02)

प्रशासनिक अमला : प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों से साक्षात्कार केयर की कार्यक्रम अधिकारी और कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर के स्टॉफ द्वारा लिया, इस स्तर पर कुल 10 अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया जो विकासखंड और जिला स्तर पर पदस्थ हैं। (देखें संलग्नक क्र.03)

योजना से लाभांवित परिवार

लाडली लक्ष्मी योजना											
क्र.	खंड का नाम	कुल लाभार्थी की संख्या	अनुसूचित जनजाति हितग्राही की संख्या	अनुसूचित जाति हितग्राही की संख्या	पिछडी जाति हितग्राही की संख्या	बी.पी.एल. हितग्राही की संख्या	एक लडकी पर लाभ वाले हितग्राहियों की संख्या	दो लडकी वाले हितग्राहियों की संख्या	पति द्वारा आपरेशन कराये गये हितग्राहियों की संख्या	जडवा बच्चे वाले हितग्राहियों की संख्या	एक साल मे दो बच्चे वाले हितग्राहियों की संख्या
1	लखनादौन	97	38	14	34	0	0	1	4	0	0
2	छपारा	61	27	3	31	29	0	2	0	1	
3	घंसौर	93	52	13	29	51	0	11	1	1	0
4	केवलारी	108	20	5	70	30	2	15	1	0	1
5	सिवनी	130	17	12	77	10	0	23	0	0	1
6	कुरई	142	57	29	50	43	2	8	0	0	0
7	धनौरा	90	64	10	15	64	1	4	2	0	0
8	बरधाट	206	29	11	166	82	5	31	3	1	0
9	सिवनी शहरी	48	5	3	40	0	16	0	0	0	0
कुल योग		975	309	100	512	309	26	95	11	3	2

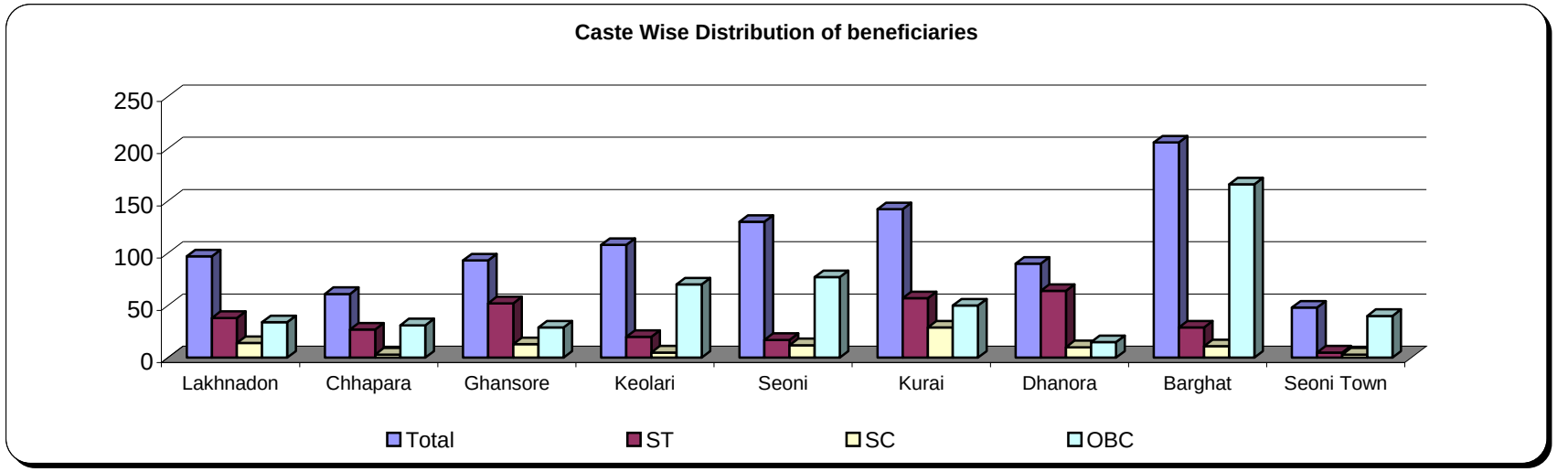

महिला और बाल विकास विभाग से प्राप्त आंकडों के आधार पर इस योजना से जुड चुके लाभांवित परिवारों का विवरण निम्नानुसार है ।

साक्षात्कार विश्लेषण

साक्षात्कार से प्राप्त जानकारियों के आधार पर किये गये विश्लेषण से मुख्य जानकारियॉं निम्न हैं, जिसका प्रस्तुतिकरण साक्षात्कार में पूछे गये प्रश्नों के आधार पर है :-

योजना से संबंधित लिए गये साक्षात्कार से काफी जानकारियॉं प्राप्त हुई जिसमें हितग्राहियों की जानकारी का स्तर, जागरूकता और भविष्य में पडने वाले प्रभाव पर कॉफी बेहतर जानकारियॉं प्राप्त हुई हैं
कुछ ऐसे तथ्य हैं जो समाज की वर्तमान सोच को प्रदर्शित करते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे योजना से संबंधित जानकारी कहॉं से प्राप्त हुई पर हितग्राहियों से प्राप्त जानकारी :

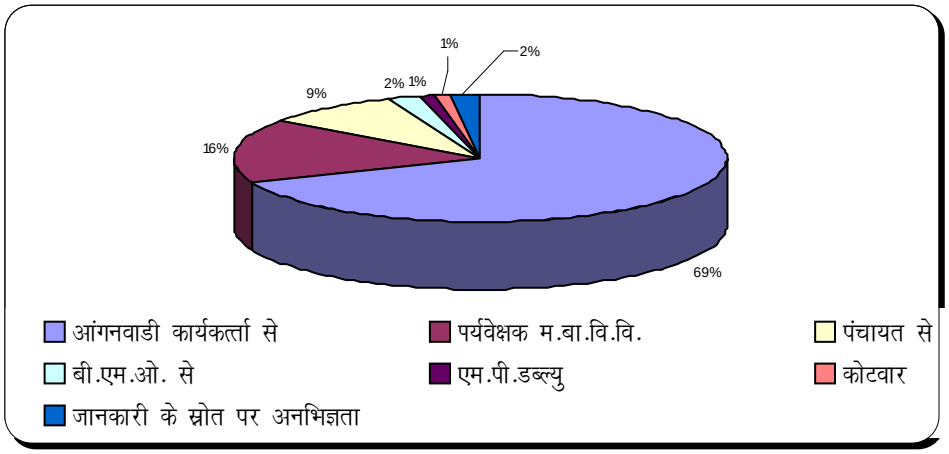

योजना के संबंध में समुदाय स्तर पर काफी सकारात्मक सोच है जो कि इस ग्राफ के स्पष्ट होती है।

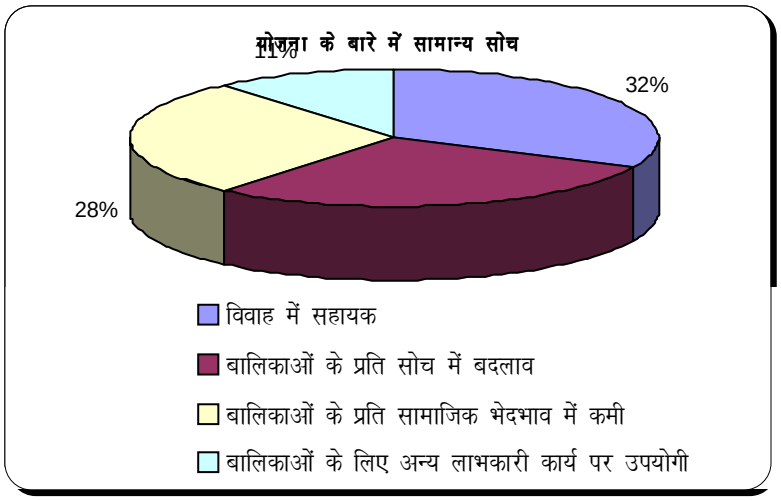

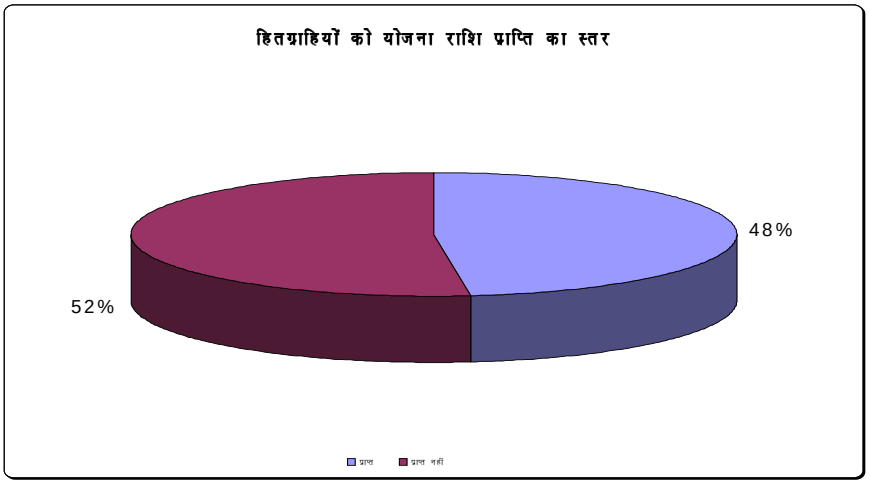

यह योजना का एक ऐसा पक्ष है जिस पर और अधिक गंभीरता से कार्य की आवश्यकता है जिससे योजना की स्वीकार्यता और प्रभाव अधिक दिखायी देगा।

1. हितग्राही

पूछे गये प्रश्न	हितग्राही से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण
लाड़ली लक्ष्मी योजना की जानकारी आपको कहां से मिली।	• 69 प्रतिशत हितग्राहियों को महि आंगनवाडी कार्यकर्त्ता से जानकारी प्राप्त हुई • 16 प्रतिशत हितग्राहियों को पर्यावेक्षक म् बां वि् से जानकारी प्राप्त हुई • 9 प्रतिशत हितग्राहियों को पंचायत से जानकारी प्राप्त हुई • 2 प्रतिशत हितग्राहियों ने कोई जानकारी नही दी • 1 प्रतिशत हितग्राही को बी.एम.ओ. साहब के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई • 1 प्रतिशत को हितग्राही को एम.पी.डब्ल्यु के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई • 2 प्रतिशत हितग्राही को कोटवार बैठक में कलेक्टर महोदय के द्वारा जानकारी प्राप्त हुइ
आपको इस योजना से लाभ लेने के लिए किसने प्रेरित किया।	• 80 प्रतिशत हितग्राहियों आंगनवाडी कार्यकर्त्ता द्वारा प्रेरित किया गया • 10 प्रतिशत हितग्राहियों पर्यावेक्षक द्वारा प्रेरित किया गया • 3 प्रतिशत हितग्राहियों सास ससुर द्वारा प्रेरित किया गया • 3 प्रतिशत हितग्राहियों ए.एन.एम.एवं एम.पी.डब्ल्यु द्वारा प्रेरित किया गया • 2 प्रतिशत हितग्राहियों अन्य अस्पताल द्वारा प्रेरित किया गया • 2 प्रतिशत हितग्राहियों माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा प्रेरित किया गया

पूछे गये प्रश्न	हितग्राही से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण
आपको इस योजना से जुडने में कोई परेशानी हुई।	• 75 प्रतिशत हितग्राहियों योजना से जुडने में कोई परेशानी नहीं हुई • 22 प्रतिशत हितग्राहियों परिवार नियोजन प्रमाण लेने मे परेशानी हुई • 3 प्रतिशत हितग्राहियों कोई जबाब नही दिया
आप से क्या-क्या दस्तावेज मांगे गये।	• 92 प्रतिशत उत्तदाताओं ने सही जानकारी दी और बताया O मूलनिवासी प्रमाणपत्र O राशन की प्रति O परिवार नियोजन प्रमाण पत्र O 8 प्रतिशत हितग्राहियों को पर्याप्त जानकारी नही थी
क्या आपने नसबंदी करवा लिया है यदि हॉ तो किसकी।	• 94 प्रतिशत महिला हितग्राहियों ने परिवार नियोजन अपनाया है • 6 प्रतिशत पुरू∀ा हितग्राहियों ने परिवार नियोजन अपनाया है
आप इस योजना के बारे में क्या सोचते है।	• 32 प्रतिशत हितग्राहियों को विवाह में मदद मिलेगी • 29 प्रतिशत हितग्राहियों में बालिकाओं के प्रति बदलाव आयेगा • 28 प्रतिशत हितग्राहियों ने बालिकाओं के प्रति सामजिक भेदभाव मे बदलाव आयेगा • 11 प्रतिशत ने बालिकाओं को अन्य लाभ के लिए राशि खर्च की जा सकती है
क्या आपको राशि प्राप्त हो चुकी है।	• 48 प्रतिशत हितग्राहियों को राशि प्राप्त हो चुकी है • 52 प्रतिशत हितग्राहियों को राशि प्राप्त नहीं हुई है
आपको आज तक कितनी राशि मिली है।	• 48 प्रतिशत हितग्राहियों को रू. 6000 प्राप्त हो चुके हैं • 52 प्रतिशत हितग्राहियों को राशि की जानकारी नही हैं
क्या आपके विचार में ये योजना आगे भी चलना चाहिए?	• 100 प्रतिशत हितग्राही इसके पक्ष में हैं कि योजना निरंतर चलनी चाहिये।
इस योजना की राशि आपकी बालिका को कब मिलेगी	• 82 प्रतिशत को जानकारी है • 18 प्रतिशत हितग्राहियों को जानकारी नहीं
क्या आपको लगता है कि इससे बालिका के विवाह में सुविधा होगी यदि हॉ तो क्या।	• 100 प्रतिशत हितग्राहि मानते हैं कि विवाह में सुविधा होगी हितग्राहियों के द्वारा सुविधाऐं निम्न प्रकार से आंकी गई 1. 55 प्रतिशत हितग्राही मानेत है कि विवाह करने मे मदद मिलेगी 2. 25 प्रतिशत हितग्राही मानते है कि भविष्य में बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रयोग हो सकेगा। 3. 9 प्रतिशत हितग्राही मानते है कि अच्छे परिवार मे बालिका का विवाह किया जा सकेगा। 4. 6प्रतिशत हितग्राही मानते है कि बालिकाओं की भृण हत्या मे कमी आयेगी। 5. 5 प्रतिशत हित्रग्राही मानते है कि आर्थिक स्तर में सुधार आयेगा।

पूछे गये प्रश्न	हितग्राही से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण
इस योजना के लाभ के लिए आपको क्या-क्या करना होगा। 0 शादी कितनी उम्र में करेंगे - 0 शिक्षा कहॉ तक देंगे -	• 95 प्रतिशत हितग्राहियों को इसकी शर्तों की जानकारी पर्याप्त है। • 5 प्रतिशत हितग्राहियों ने कोई जबाब नही दिया ।
आपने आज तक कितने लोगो को इस योजना के बारे में बताया है।	• 77 प्रतिशत हितग्राहियों ने 189 परिवारों को प्रेरित करने का प्रयास किया । • 23 प्रतिशत हितग्राहियों ने प्रेरित करने का कोई प्रयास नही किया।
क्या आपके रिश्तेदार इस योजना में पात्रता रखते है?	• 42 प्रतिशत हितग्राहियों के परिवार वाले भी इस योजना की पात्रता रखते हैं। • 58 प्रतिशत हितग्राहियों के परिवार वाले पात्रता नही रखते है।
आप अपनी बेटी का विवाह कब करना चाहेंगे। बेटी के विवाह की सबसे अधिक चिंता होती है क्या यह योजना इस चिंता को कम करने में मददगार है।	• 95 प्रतिशत हितग्राही को शादी की चिंता कम हुई है और शिक्षा तथा बालिका के सुरक्षित भविष्य के प्रति आश्वस्त हुए हैं। • 5 प्रतिशत हिग्राहियों ने कोई जबाब नही दिया
योजना से प्राप्त राशि का प्रयोग किस रूप में किया गया या किस रूप में करने का विचार है	• 42 प्रतिशत हितग्राही बालिका की शिक्षा के लिए राशि का उपयोग करना चाहते है। • 46 प्रतिशत हितग्राही विवाह में व्यवस्था हेतु खर्च करने के पक्ष मे है। • 12 प्रतिशत हितग्राही बालिका की भविष्य की योजनाओं के लिए राशि का उपयोग करना चाहते है।
क्या आपने अपने आस पास या समाज में बेटियों के प्रति दुर्व्यवहार को देखा है?	• 34 प्रतिशत हितग्राहीयों ने अपने आस पास बालिकाओं के प्रति दुरव्यवहार को महसूस किया है। • 57 प्रतिशत हितग्राहीयों ने अपने आस पास बालिकाओं के प्रति दुरव्यवहार को महसूस नही किया है। • 9 प्रतिशत हितग्राहियों का इस बिंदु पर कोई प्रतिक्रिया नही है।
आपकी बेटी जब पैदा हुई थी तो आपके परिवार के लोगों का व्यवहार कैसा था पति/सास/अन्य	• 82 प्रतिशत हितग्राहियों के परिवार का व्यवहार अच्छा था। • 13 प्रतिशत हितग्राहियों ने सास, पति के व्यवहार के प्रति नाराजगी जाहिर की । • 5 प्रतिशत हितग्राहियों ने कोई जबाब नही दिया।

पूछे गये प्रश्न	हितग्राही से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण
एक बेटी के माता पिता होने पर आपको परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से कुछ परेशानी /दबाव था।	• 13 प्रतिशत हितग्राहियों के परिवार में बालिका के जन्म के प्रति नाराजगी जाहिर की । • 82 प्रतिशत हितग्राहियों के परिवार में बालिका के जन्म के प्रति नाराजगी जाहिर नही की । • 5 प्रतिशत हितग्राहियों ने कोई जबाब नही दिया।
योजना और अधिक व्यवहारिक या प्रभावी हो सकती है यदि आपको - 1. पूर्व में ही राशि प्राप्त हो जावे 2. प्रत्येक वर्ष राशि प्राप्त हो 3. राशि एक मुश्त प्राप्त हो	• 65 प्रतिशत हितग्राहीयों एक मुश्त राशि प्राप्त करना चाहते हैं • 23 प्रतिशत हितग्राहीयों चाहते हैं कि राशि प्रतिवर्ष प्राप्त हो। • 2 प्रतिशत हितग्राहियों ने पूर्व मे राशि प्राप्त हो जाने की बात कही। • 10 प्रतिशत हितग्राहियों ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर की।

पंचायत प्रतिनिधि

किसी भी योजना के क्रियांवयन में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है इस योजना में भी पंचायत ने सक्रिय भूमिका निभा रही है अतः आवश्यक था कि प्रतिनिधियों के जानकारी का स्तर और योजना से जुडाव संबंधी जानकारियों को भी देखा जाये। इस आंकलन से सुखद अनुभव होता है कि पंचायत और लाडली लक्ष्मी योजना का जुडाव काफी द्यनिष्ट है। पंचायत प्रतिनिधि योजना से काफी आशान्वित हैं कि यह सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। पंचायत प्रतिनिधियों ने भी सामाजिक बदलाव के महत्वपूर्ण विषयों को सामने लाया है जो कि वे इस योजना से अपेक्षा रखते है।

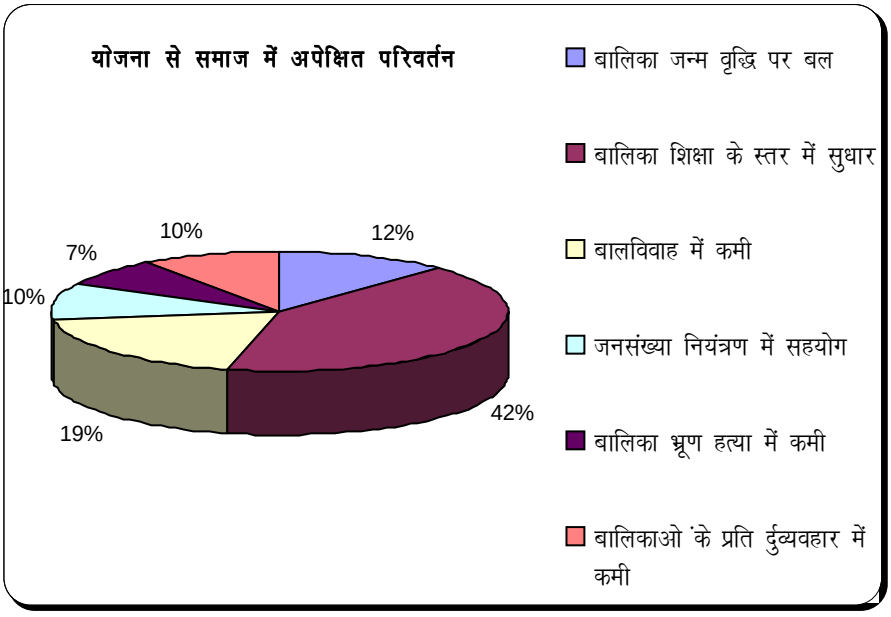

सामान्यतः किसी नयी योजना के प्रारंभ होते ही प्रभावशाली समुदाय या व्यक्ति लाभ लेने का अधिक प्रयास करते हैं पर योजना के स्वरूप और सभी वर्गों के लिए उपलब्धता इस योजना की एक प्रमुख विशेषता है, कमजोर और आदिवासी समुदाय भी इस योजना से जुड रहे हैं।

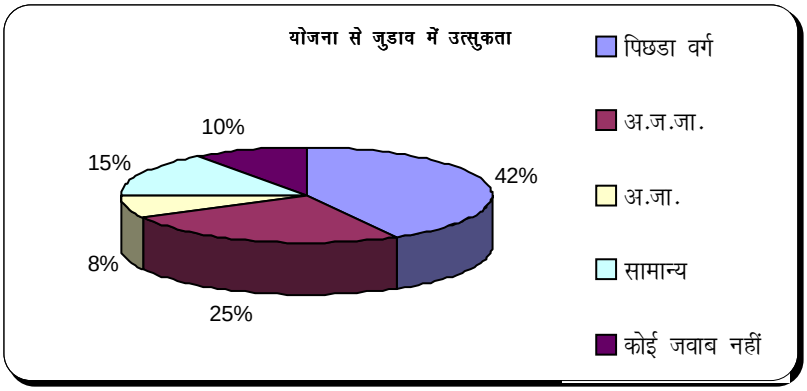

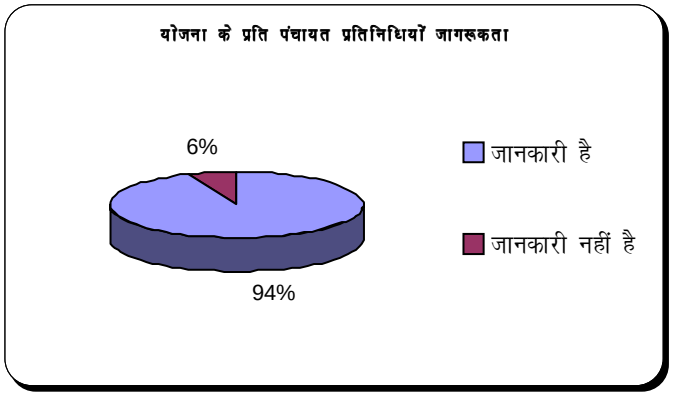

पंचायत प्रतिनिधियों की योजना पर जानकारी और जागरूकता का स्तर काफी उत्साहजनक है सिर्फ 6 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों को योजना की पर्याप्त जानकारी नहीं है जो कि आशा है धीरे धीरे सभी प्रतिनिधि इस योजना से वाकिफ हो जायेंगे।

पूछे गये प्रश्न	उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण
क्या आप लाड़ली लक्ष्मी योजना के बारे में जानते है ?	• 87 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधी इस योजना के संबध में जानकारी रखते है। • 11 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियो को अपूर्ण जानकारी है। • 2 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों को बिल्कुल जानकारी नही है।
आपको जानकारी कहां से प्राप्त हुई ?	• 75 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियो को महिला बाल विकास विभाग से जानकारी प्राप्त हुई। • 19 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधीयो को पंचायत विभाग से जानकारी प्राप्त हुई इस योजना के संबध में जानकारी रखते है। • 4 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियो को स्वास्थ्य विभाग जानकारी प्राप्त हुई इस योजना के संबध में जानकारी रखते है। • 2 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियो को अन्य स्त्रोंतो से जानकारी प्राप्त हुई। (समाचार पत्र, पोस्टर पाम्पलेट, टी.व्ही., ग्राम सभा,)
आपकी पंचायत से कितने परिवार इस योजना से जुडे हैं ?	• 88 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों ने कुल 153 हितग्राहियों को इस योजना से जोडा। • 12 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों ने जानकारी नही दी
क्या अपको इस योजना की पात्रता रखने की जानकारी है ?	• 94 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों इस योजना में पात्र हितग्राहियों की पर्याप्त जानकारी है। • 6 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों को पात्र हितग्राहियों की जानकारी नही है।

पूछे गये प्रश्न	उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण
आपकी पंचायत से इस योजना से जोडने के लिए क्या-क्या प्रयास किये।	• 38 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रचार प्रसार पर अधिक ध्यान दिया । • 6 प्रतिशत वार्ड वार पंचायत सदस्यों को जिम्मेदारी सौपी। • 37 प्रतिशत ग्राम सभा/पंचायत बैठक मे योजना के संबध मे चर्चा की गई • 8 प्रतिशत विभाग स्तर पर योजना की जानकारी प्राप्त की गई। • 11 प्रतिशत अन्य स्त्रोंतों से जानकारी प्राप्त की गई
आपके अनुसार इस योजना में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है यदि हॉ तो क्या?	• 33 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों ने इस योजना में सुधार करने की आवश्यकता महसूस करी। • 42 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों ने कोई सुधार नही चाहते है। • 13 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों ने कोई विचार व्यक्त नही किया।
लाड़ली लक्ष्मी योजना से समाज में क्या परिवर्तन आ सकता है	• 12 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि बालिका जन्म मे वृद्धि पर बल दिया। • 41 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि बालिका का शिक्षा स्तर मे सुधार होगा। • 19 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का का विचार है कि बाल विवाह के स्तर मे कमी आयेगी। • 10 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि जनसंख्या नियंत्रण मे सहयोग होगा। • 7 प्रतिशत पांचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि बालिका भ्रूण हत्या मे कमी आयेगी। • 10 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि बालिकाओं के प्रति दुरव्यवहार मे कमी आयेगी।
आपकी सोच में इस योजना को और चलना चाहिए यदि परिवर्तन चाहते हैं तो किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है।	• 88 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि इस योजना को निरंतर चलते रहना चाहिए। • 12 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों ने इस बिंदू पर कोई विचार नही दिया। (सरकार के बदलने पर भी योजना मे निरंतरता बनी रहनी चाहिए, 12 वी एवं 10 फेल होने पर भी राशि मिलनी चाहिए, योजना मे 12 वी के बाद भी शिक्षा की व्यवस्था इसमें जुडनी चाहिए, इस योजना के क्रियान्वयन में पंचायत को सक्रीय रूप से जोडने की आवश्यकता है।, येाजना का अधिक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है।)

पूछे गये प्रश्न	उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण
क्या किसी हितग्राही को इस योजना से जोडने में कभी किसी समस्या का सामना किया गया यदि हॉ तो क्या ?	• 67 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों को इस योजना से जुडने मे कोई परेशानी नही हुई। • 21 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि योजना से जुडने मे समस्या का सामना किया गया। (परिवार नियोजन की प्रेरणा मे परेशानी, नसबंदी प्रमाण पत्र प्राप्त करने मे परेशानी, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने मे परेशानी, फार्म भरने मे परेशानी) • 12 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों ने जानकारी नही दी।
इस योजना से लड़कियों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?	• 98 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि बालिकाओं की शिक्षा मे सुधार आयेगा। • 2 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों ने कोई जबाब नही दिया।
इस योजना के आने से पंचायत या ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी बढ़ी है ? क्या ग्राम पंचायत के सभी सदस्य इस योजना से भलीभांति परिचित हैं?	• 94 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि ग्रम सभा में योजना से कोई भागीदारी मे कोई अंतर नही है। • 6 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि ग्राम सभा मे उपस्थिति बढाने मे योजना मददगार है। • 71 लगभग प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधि योजना से भली भाति परिचित है। • 19 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों को पर्याप्त जानकारी नही है। • 10 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों को इस योजना से परिचित नही है।
योजना से जुडे हुए परिवारों में महिलाओं या बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण या सोच में किसी तरह के परिवर्तनों का अवलोकन आपके द्वारा किया गया।	• 85 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि बालिकाओं के प्रति दृष्टि कोण में परिवर्तन आयेगा। • 3 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि कोई परिवर्तन नही आयेगा। • 12 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों ने कोई विचार व्यक्त नही किया। (बालिकाओं के प्रति भेद भाव मे कमी आयेगी, बालिका भृण हत्या पर रोक लगेगी, बालिकाओं एवं महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों मे कमी आयेगी, बालिका के जन्म पर खुशी का माहोल बनेगा, कम उम्र मे विवाह नही होगें, बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच बढेगी, एवं सीमित परिवारों को बढावा मिल सकेगा।)
सामान्यतः बेटी के पैदा होने पर आपकी पंचायत के निवासियों का नजरिया क्या होता है • वे यह मानते हैं कि यह बोझ है • बेटी एक समस्या है • खुश होते हैं • उपरोक्त तीनों	• 67 प्रतिशत पंचायतों में बालिका के जन्म पर खुश होते है। • 4 प्रतिशत पंचायतों मे बेटी के जन्म को एक समस्या के रूप मे माना जाता है। • 8 प्रतिशत पंचायतो मे बेटी के जन्म को बोझ मानते है। • 17 प्रतिशत पंचायतो में उपरोक्त तीनो बाते देखी जाती है। • 4 प्रतिशत पंचायतों ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नही की।

पूछे गये प्रश्न	उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण
सामान्यतः किस वर्ग/जाति के लोगों ने सबसे पहले इस योजना के तहत पंजीयन या योजना से जुडने का प्रयास किया ?	• 42 प्रतिशत पिछडा वर्ग • 25 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति • 8 प्रतिशत अनुसूचित जाति • 15 प्रतिशत सामान्य • 10 प्रतिशत ने कोई जबाब नही दिया
क्या इस योजना के संदर्भ में किया गया प्रचार प्रसार पर्याप्त था या पर्याप्त जानकारी नहीं दी गयी?	• 75 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया गया। • 13 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का विचार है कि पर्याप्त प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। • 12 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का इस बिंदू पर कोई विचार है नही है।

3. शासकीय विभागों के प्रतिनिधि

- इस योजना के संबंध में पंचायत, महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के विकासखंड और जिला स्तर के अधिकारियों से योजना पर चर्चा के पश्चात निम्न बातें सामने आयीं। चर्चा में परियोजना अधिकारी, कार्यपालन अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया । जिसमें योजना के फलस्वरूप अपेक्षित परिवर्तन, क्रियांवयन में समस्याएं आदि पर चर्चा की गयी।

    - सामान्यतः सभी इस योजना को बेहतर बता रहे हैं । जिसके अंतर्गत समाज में बालिकाओं के पक्ष में सकारात्मक वातावरण बनेगा।
    - बालिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी एवं उनके शिक्षा के स्तर में सुधार होगा
    - परिवार नियोजन के प्रति रूझान बढ़ेगा।
    - बालिका विवाह सही उम्र में होगा, एवं विवाह की विभिन्न समस्याओं का समाधान होगा।
    - बालक और बालिकाओं के बीच होने वाले भेदभाव में कमी आयेगी यह कमी परिवार और समाज दोनों जगह दिखायी देगी। पोषण स्तर में सुधार दिखायी देगा।
    - समाज में बालिकाओं के प्रति संवेदी वातावरण का निर्माण होगा।

क्रियांवयन स्तर पर समस्याएं

- योजना के क्रियांवयन में आने वाली या आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों पर चर्चा से काफी बातें सामने आयी जैसे : यदि दो बच्चों के पश्चात यदि माँ की मृत्यु हो जाती है तो वह परिवार इस योजना से कैसे लाभावित होगा यह स्पष्ट नहीं है।
- दूसरे प्रसव में यदि जुडवे बच्चे (लडकियॉ) पैदा होते है तो इस योजना से कैसे लाभाविंत हो सकेंगे और यदि तीनों बालिकाएं हितग्राही हैं तो क्या वे इस योजना से लाभ प्राप्त कर पायेंगे।
- दूसरे विवाह से जन्मी बालिका को क्या इस योजना से लाभ प्राप्त होगा।
- एन.एस.सी. का समय पर उपलब्ध ना हो पाना।
- योजना के निर्देशों में आयकर संबंधी नियमों में अस्पष्टता है !
- क्या यदि पत्नि की मृत्यु हो गयी है तो भी पति को परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा?
- क्या पति की मृत्यु होने पर पत्नि अपनी बालिका के लिए इस योजना का लाभ ले पायेगी ?

निष्कर्ष

प्रभाव आंकलन से एक बात स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आयी है, कि जिन उद्देश्यों को आधार बनाकर योजना का नियोजन किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में योजना बढ़ती दिखायी दे रही है। प्रथम वर्ष के रूझान स्पष्ट करते हैं कि व्यापक प्रचार प्रसार और उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के साथ योजना को आगे बढ़ाना होगा। इस योजना के क्रियांन्वयन में महिला बाल विकास विभाग की केंद्रीय भूमिका है और ग्रामीण स्तर पर भी महिलाओं जुडाव इस विभाग से बना हुआ है जिससे कि योजना के फलीभूत होने में मदद मिलेगी।

विभिन्न स्तरों पर किये गये प्रभाव आंकलन से एक बात स्पष्ट हुई है और सभी चाहते हैं कि योजना आगे भी चलती रहे । और यदि योजना इसी तरह क्रियांवित होती रही तो निश्चित रूप से बालिकाओं के भविष्य उज्जवल और समाज में व्याप्त बालिका विभेद में कमी आयेगी। सामान्य सोच, बेटियॉ बोझ हैं के स्थान पर बेटियॉ बोझ नहीं बल्कि परिवार की प्रमुख और बराबरी की सदस्य हैं यह सोच समाज में स्थापित होगी। आवश्यकता है योजना के प्रचार प्रसार के साथ साथ उन मुद्दों पर भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है जिन परिस्थितियों को बदलने की मंशा इस योजना में है।

योजना बालिकाओं को समाज और परिवार में स्थापित तो करेगी ही साथ ही समाज में बालिकाओं के प्रति नजरिये में बदलाव भी लायेगी, योजना से प्राप्त अवसरों का लाभ बालिकाओं को प्राप्त होगा जिससे उन्हें अपने व्यक्तित्व विकास में मदद मिलेगी जिससे कि आने वाले समय में ना सिर्फ नजरिया बदलेगा बल्कि बालिका भ्रूण हत्या, घरेलु हिंसा जैसी समस्याओं में भी कमी आयेगी और धीरे धीरे ये समस्याएं समाज से दूर होती जायेंगी।

बालिका शिक्षा पर एक नजर

Student Enrolment in Seoni District				
S.N.	**Class**	**Boys**	**Girls**	**Total**
1	1st	22683	22187	44870
2	2nd	19859	19370	39229
3	3rd	22241	21333	43574
4	4th	19743	20192	39935
5	5th	17706	18345	36051
6	6th	16668	16682	33350
7	7th	13227	12658	25885
8	8th	12402	12135	24537
9	9th	9723	8876	18599
10	10th	6250	4980	11230
11	11th	3350	2558	5908
12	12th	4277	2859	7136
Total		**168129**	**162175**	**330304**

शिक्षा विकास के सूचकांकों में एक महत्वपूर्ण सूचक है, विकास के विभिन्न पहलुओं को देखने में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है, सामाजिक परिस्थितियों को बदलाव में शिक्षा का काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिले के आंकडों को एक नये नजरिये से देखने की आवश्यकता है। नीचे दिये गये आंकडों को देखने के पश्चात यह अपेक्षा की जा सकती है कि लाडली लक्ष्मी योजना से इन परिस्थितियों में परिवर्तन होगा।

- वर्तमान आंकडे प्रदर्शित करते हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पॅहुचते पॅहुचते बालिकाओं की संख्या में कॉफी गिरावट आयी है जहॉ कक्षा पहली में 21,187 बालिकाओं ने प्रवेश किया, कक्षा बारहवीं में सिर्फ 2,859 बालिकाएं दर्ज हैं।
- बालकों के साथ इन आंकडों की तुलना करके देखें तो कक्षा बारहवीं तक पॅहुचते पॅहुचते यह आंकडा लगभग दोगुना है।

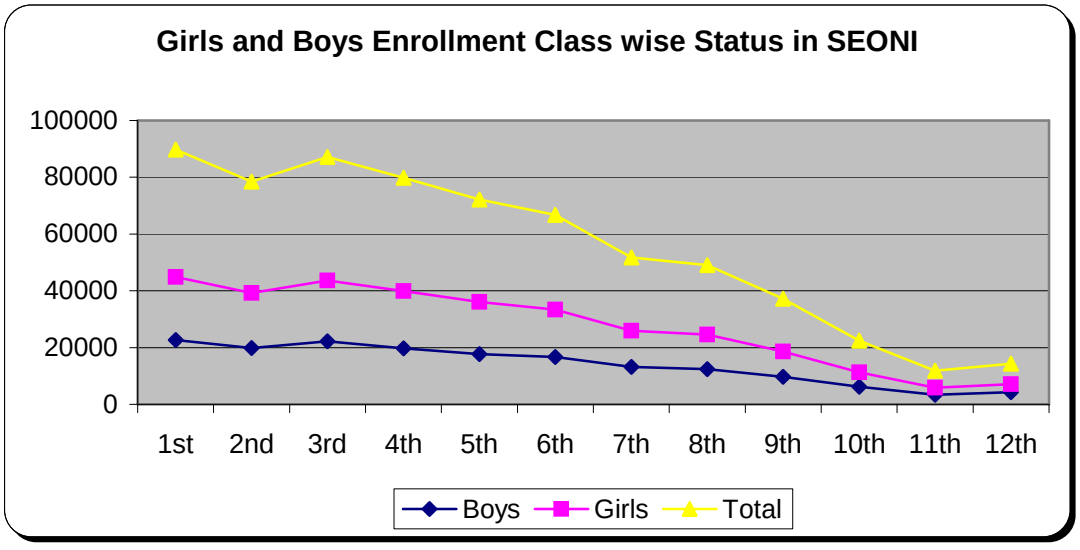

Source Dept. of Education, Seoni

केस स्टडी

सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य विकास खण्ड घंसौर के पहुच विहीन सेक्टर केदारपुर के ग्राम बालपुर रैयत के गरीब परिवार जिसका नाम वर्तमान की गरीबी रेखा सूची में दर्ज नही है, फिर भी प्रदेश सरकार की महात्वकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना से जोडकर इस परिवार की बालिकाओ के सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा चुकी है।

ग्राम बालपुर रैयत के श्री दिनेश भलावी ने 6वी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है इनकी पत्नी श्रीमति शीला भलावी के द्वारा पूर्व में दो बच्ची को जन्म दिया जो मृत पैदा हुई इसके तीन वर्ष के के अंतराल पर पुनः 2 जुडवा लडकी को जन्म दिया जो वर्तमान में जीवित है। गर्भावस्था के दौरान ही इस महिला की आंगनवाडी कार्यकर्त्ता अमिया बरकडे ए.एन.एम. पूना भगत, पर्यवेक्षक सरला यादव एवं सी. डी.सी. के ब्लाक समन्वयक प्रीतम रजक के द्वारा प्रसव अस्पताल में करवाने की सलाह दी गई।

परिवार के दोनों सदस्य मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते है इनके परिवार मे एकल परिवार होने की वजह से देखभाल करने वाले कोई सदस्य नही है। लाडली लक्ष्मी योजना की जानकारी आंगनवाडी कार्यकर्त्ता के द्वारा दी गई तो पहले तो वह बालिका होने की वजह से नसबंदी करवाने तैयार नही हुई एक लडकी की इच्छा अब भी उसके मन में थी किन्तु जब लडकी व लडके के अंतर पर पर्यवेक्षक के द्वारा उसके पति की समझ बनाई गई तो वह तैयार हो गई और फरवरी माह में नसबंदी करवाकर लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन किया जिसे विभागीय कार्यवाही सक्रियता से पूर्ण कर योजना से जोडा जा चुका है।

बालिकाओं की योजना से जुडने के बाद परिवार द्वारा दोनो बालिकाओं का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिसमें रूचिका प्रथम ग्रेड में है तथा याचिका सामान्य ग्रेड में है वर्तमान मे दोनो बच्चियों को आंगनवाडी की सेवाऐं मिल रही है जिसमें इनका अन्नप्राशन्न किया गया है तथा ऊपरी आहार की शुरूआत हो चुकी है। जिससे इसके पोषण स्तर में सुधार आयेगा।

जिस तरह दिनेश भलावी ने बालिकाओं को भविष्य की योजनाओं में बालिका को महत्व देकर बालक बालिका के भेदभाव को समाप्त करने मे समाज के लिए अनमोल उदाहरण प्रस्तुत किया जो सामाजिक ताने बाने मे बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा और हमारा समाज सशक्त नारी के लक्ष्यों को प्राप्त करने मे सफल हो सकेगा।

बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच

विकास खंड केवलारी की ग्राम पंचायत सरेखा जो मूलतः ब्राम्हण परिवारों का गांव है इसी गांव के श्री रामेश्वर दुबे के द्वारा मार्च 2006 में जब इन्हें लाडली लक्ष्मी योजना की पात्रता की जानकारी अखबार से प्राप्त हुई। चूँकि इनका पूर्व में एक बालक था एवं इसके पश्चात बालिका का जन्म हुआ

इनके परिवार में बालिका के जन्म को अच्छा नही माना जाता है तथा बालिका के जन्म पर दहेज की समस्या की वजह से परिवार में उत्साह कम देखा गया परिवार की इच्छा थी की आगे एक और लडका यदि जन्म ले लेगा तो शायद परिवार की स्थिति में सुधार आ सकता है इसलिए परिवार के लोग एक और लडके के जन्म के लिए नसबंदी करवाने के लिए मना कर रहे थे। किन्तु रामेश्वर दुबे के द्वारा सोचा गया कि यदि इस बालिका के जन्म पर आपरेशन नही करवाया तो योजना लाभ नही मिल सकेगा तथा पत्नी का आपरेशन करवाता है तो परिवार के सभी सदस्यों को पता चल जायेगा इसलिए श्री रामेश्वर दुबे के द्वारा परिवार को बताये बिना केवलारी अस्पताल में एन.एस. व्ही.टी. करवा लिया तथा नसबंदी के बाद 2 माह तक किसी को नही बताया एवं जब लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए आंगनवाडी कार्यकर्त्ता के द्वारा फार्म भरा गया तो नसबंदी का प्रमाण पत्र जो पूर्व में करवा चुके थे प्रस्तुत किया गया तब परिवार के लोगों को नसबंदी की जानकारी पता चली।

इस तरह के प्रयास से परिलक्षित होता है कि उच्च वर्ग के परिवारों मे भी बालिकाओं के प्रति इस योजना से सकारात्मक सोच बढ़ रही है।

चुनौतियॉ

- प्रथम एवं द्वितीय प्रसव में जुडवा बच्चों का जन्म होना।
- हितग्राहियों को भविष्य में योजना से प्राप्त होने वाले लाभ पर अस्पष्टता एवं संदेह है।
- 21 वर्ष तक रिकार्डों का रखरखाव एक प्रमुख चुनौती है।
- पोस्ट आफिस द्वारा एन.एस.सी. या राशि देर से या समय पर प्राप्त ना होना।
- समस्त विभागों का योजना के प्रति कम जुडाव होना।
- विभागीय दस्तावेज पूर्ण करने में अधिक समय लगने के कारण हितग्राहियों को देरी से पंजीयन होना।
- योजना बंद होने एवं सरकार बदलने पर भी क्या योजना का क्रियान्वयन एवं लाभ प्राप्त होगा इस पर संदेह है।
- आदिवासी समुदाय का इस योजना के प्रति रूझान कम होना जो कि आंकडों से भी परिलक्षित होता है।
- एक व्यक्ति दो जगह से योजना का लाभ ले सकता है इसकी संभावनाएं बनती हैं क्योंकि कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं।
- प्रत्येक स्तर तक प्रचार प्रसार का नहीं हो पाना ।

सुधार के संभावित हस्तक्षेप

- प्रत्येक विभाग को इस योजना से जोडने की आवश्यकता है।
- व्यापक प्रचार प्रसार और अंतिम व्यक्ति तक पॅहुचने का प्रयास आवश्यक।
- प्रत्येक विभागों द्वारा हितग्राहियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक व्यवहार और कार्य करने की आवश्यकता जैसे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदान किये जाने वाले परिवार नियोजन संबंधी प्रमाण पत्रों की समय पर उपलब्धता, पंचायत द्वारा आय एवं जन्म प्रमाण पत्र और महिला बाल विकास द्वारा प्रपत्रों की उपलब्धता।
- हितग्राहियों को पर्याप्त और जानकारीपूर्ण समझाईश को बढ़ावा देने की आवश्यकता।
- योजना क्रियान्वयन से संबंधित जानकारियों पर कुछ कुछ मुद्दों पर स्पष्टता का आभाव है जैसे दूसरे प्रसव में यदि जुडवा बच्चें पैदा होते हैं।

संलग्नक

1. योजना के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किये गये प्रचार प्रसार सामग्री
2. विकासखंड वार प्रगति समीक्षा
3. साक्षात्कार प्रपत्र 1-3

अन्य

तीनों स्तर पर किये गये साक्षात्कार में उत्तर दाताओं की संख्या अलग अलग थी, पूर्व में साक्षात्कारकर्त्ताओं का विवरण दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में 127 लोगों से चर्चा की गयी, चर्चा के आधार पर निकली जानकारी का प्रस्तुतिकरण प्रतिवेदन में किया गया है।

- हितग्राही - 65
- पंचायत - 52
- शासकीय अधिकारी - 10